न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 44/2024 GCMS No.—2024/46

रमेश चन्द प्रजापत पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय कुम्हार उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार, मकान नंबर 51, ऋषि गालव नगर, गलता गेट, दिल्ली बाईपास, जिला जयपुर, राजस्थान।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकरण पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल कुम्हार जाति कुम्हार निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत कानोता, जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत विरूद्ध आदेश दिनांक 15.01.1983 ग्राम पंचायत कानोता, पं.स.बस्सी, जयपुर पट्टा नंबर 40, मिसल संख्या 241–341 तारीख दायर 13.02.1983–84 पट्टा जारी दिनांक 12.07.1983 ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.03.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कानोता, पंचायत समिति बस्सी के मिसल संख्या 241–341 दायर दिनांक 13.02.1983 की पालना में निर्णय/आदेश दिनांक 12.07.1983 से गैर निगरानीकार संख्या 1 रामकरण पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 16.10.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना जाहिर किया है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि ग्राम पंचायत कानोता द्वारा दिनांक 12.07.1983 को निगरानीधीन अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो पट्टा जारी किया गया है वह गलत है तथा मौके की जांच किये बिना व स्थानीय वार्ड पंच की रिपोर्ट के बिना ही पट्टा जारी करने का आदेश किया गया है। विवादित भूमि खसरा नंबर 351/2 सिवाय चक भूमि है। जिस पर निगरानीकार अपने पूर्वजो के समय से काबिज चला आ रहा है तथा निगरानीकार के दादाजी स्व. श्री दुर्गालाल ने उक्त भूमि पर कई पेड

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

लगा रखे है तथा कुंआ खुदवाकर सिंचाई के साधन लगा रखे है और पुख्ता मकानात आदि का निर्माण भी कर रखा है जो आगरा रोड हाईवे में एक्वायर होने की वजह से मुआवजा देना भी तय कर रखा है, जो मुआवजा स्व. श्री दुर्गालाल जी के उत्तराधिकारियों को बराबर–बराबर मिलना चाहिए। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने नाजायज तरीके से मुआवजा लेने हेतु फर्जी पट्टा तैयार किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. दुर्गालाल व अन्य लोगो का खसरा नंबर 351 पर कई वर्षो पूर्व से कब्जा चला आ रहा था। इसके बावजूद जागीरदार कमीश्नर जयपुर ने उक्त भूमि का सन् 1992 में मलका जमानी के पति हकीम सलीमदीन खान के नाम कर दिया, जो अवैध है। जिसको निगरानीकार के दादाजी स्व. दुर्गालाल ने न्यायालय खुदकाश्त आयुक्त महोदय जयपुर के समक्ष नजरसानी पेश की थी। जिसमें स्व.दुर्गालाल की मृत्यु होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने ही आगे मुकदमा लडा एवं निगरानीकार के पिता को पक्षकार नहीं बनाया गया। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के समय निगरानीकार नाबालिग था एवं निगरानीकार के पिता अशिक्षित व बीमार थे। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने स्व. श्री दुर्गालाल जी का एकमात्र वारिस बनकर प्रार्थना पत्र लगा दिया और हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट बनवा ली। ग्राम पंचायत कानोता ने बिना मौके व कब्जे की जांच किये तथा पडोसियों की आपत्ति लिये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 12.07.1983 को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि पट्टा गलत तरीके से जारी किया गया है। निगरानीकार को अपने विश्वसनीय लोगो से पट्टे की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की अवहेलना कर निरागनीधीन पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत कानोता के आदेश दिनांक 12.07.1983 द्वारा जारी विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानीकार द्वारा 41 वर्ष की देरी से निगरानी पेश की गयी है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। स्व. दुर्गालाल ने अपने पुत्र गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में रजि0 वसीयत द्वारा निगरानीधीन पट्टे के भूखण्ड प्रदान किया है निगरानीकार का वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद भी खारिज हो चुका है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित

कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है इसलिए प्रकरण का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत कानोता द्वारा दिनांक 12.07.1983 को जारी पट्टे के विरूद्ध चुनौती दी गयी है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य कथन है कि विवादित पट्टे की भूमि खसरा नंबर 351/2 सिवायक चक है किन्तु अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा अपने कथनों के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/राजस्व रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी। निगरानीकार के दादा एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता स्व. दुर्गालाल कुम्हार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में रजि0 वसीयत निष्पादित की गयी है एवं उक्त वसीयत को निगरानीकार ने माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार निगरानीकार द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत में संदर्भ में प्रस्तुत वाद दिनांक 16.05.2022 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 12.07.83 को गैर निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत कानोता द्वारा जारी पट्टे को करीब 41 वर्ष बाद चुनौती दी गयी है एवं निगरानीकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर